न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या542/2020
निर्णय दिनांक

1. श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नि स्व. श्री हाकिम सिंह
2. निहालसिंह पुत्र स्व. श्री प्रहलादसिंह
3. श्रीमती प्रमिला कंवर पत्नि स्व. श्री गोपाल सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी चीलधर विराटनगर, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र श्री घीसाराम जाति बलाई निवासी वार्ड नंबर 02, विराटनगर, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. सब रजिस्ट्रार विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. भंवर कंवर पत्नि स्व. श्री प्रहलाद सिंह
5. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह
6. मनीषा पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह
7. गिरधारी सिंह पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह
8. भावना कंवर पुत्री स्व. श्री हाकिम सिंह
9. रिद्विराज सिंह पुत्री स्व. श्री हाकिम सिंह
10. मरूधर सिंह पुत्री स्व. श्री प्रहलाद सिंह
11. पिंकी कंवर पुत्री स्व. श्री प्रहलाद सिंह
    समस्त जाति राजपूत, निवासी चीलधर विराटनगर, जिला जयपुर।
12. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री भैरूसहाय
13. सुशील कुमार पुत्र स्व. श्री भैरूसहाय
14. पताशी देवी पुत्री स्व. भैरूसहाय
15. लक्ष्मी पुत्री भैरूसहाय
16. चमेली पुत्री भैरूसहाय
17. सुन्दरी पत्नि रामपाल
18. प्यारेलाल पुत्र रामपाल
19. दर्शनलाल पुत्र रामपाल
20. बबीता पुत्री रामपाल
    समस्त जाति बलाई, निवासी वार्ड नंबर 02, विराटनगर, जिला जयपुर।

........रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.12.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 56/2017 उनवान दौलतराम व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्यअंतर्गत धारा 225राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

दिनांक 17/11/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुरद्वाराप्रार्थना पत्र संख्या 56/2017बउनवानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दौलतराम व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्रअंतर्गत धारा 251ए बाबत रास्ते हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया किप्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 1246/0.89 हैक्टेयर ग्राम पापडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आराजी हाल खसरा नंबर 1253/0.36, 1254/0.06, 1255/0.68 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजा पापडी, तहसील विराटनगर, जयपुर के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 है। प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1246 के उत्तर में लगती हुई अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1253, 1254 एवम् 1255 है तथा उसके पश्चात् विराटनगर शाहपुरा मार्ग है यानि प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1246 के उत्तर में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1253, 1254 एवम् 1255 स्थित है तथा उक्त 1253, 1254 एवम् 1255 के पश्चिम डोल के सहारे–सहारे प्रार्थी 20 फीट अक्षरे बीस फीट चौडाई में रास्ते की भूमि विराटनगर शाहपुरा मुख्य मार्ग तक आने जाने के लिए चाहते है जिस हेतु प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण ने अनेको बार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण के पास अपनी उपरोक्त आराजीयात भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, अप्रार्थीगण के उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 1253, 1254 एवम् 1255 वाके ग्राम मौजा पापडी के बतरफ पश्चिम डोल से लगते हुये उत्तर से दक्षिण अंकित रास्ता दिये जाने की सूरत में प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण इस हेतु उचित राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को अदा करने को तैयार एवम् तत्पर है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया है। प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रार्थी एवम् तरतलबी अप्रार्थीगण का आय का मुख्य जरिया आराजी खसरा नंबर 1246 की कृषि भूमि है किन्तु आराजी खसरा नंबर 1246 में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि बंजर पडी हुई है जिसके कारण प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान एवम् जीवनयापन में भारी परेशानी तथा आराजी खसरा नंबर 1246 के उत्तर एवम् अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1253, 1254 एवम् 1255 के पश्चिम की तरफ तहसील कार्यालय से संचालित होने तथा उक्त तहसील कार्यालय की भूमि के चार दीवारी निर्मित होने के कारण तहसील कार्यालय से भूमि रास्ते हेतु लिया जाना सुगम नहीं है। प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण को सुखाधिकार ना हो तो भी प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अप्रार्थीगण से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है क्योकि प्रार्थी एवम् तरतीबी अप्रार्थीगण के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 1246/0.89 हैक्टेयर ग्राम मौजा पापडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में जाने हेतु रास्ता 20 फीट चौडा, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 1253, 1254 एवम् 1255 ग्राम मौजा पापडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के पश्चिमी डोल के सहारे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सहारे उत्तर से दक्षिण में दिलवाया जाने के आदेश प्रदान किये जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पापडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 1253 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 228 वर्गमीटर, खसरा नंबर 1254 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 114 वर्गमीटर एवम् खसरा नंबर 255 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से 24 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान कर गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया गया एवम् तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान् समायत की गई।

3. दौराने बहस अभिभाषक पक्षकारान् ने सहमति जाहिर कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, में दिये गये रास्ते पर अपीलार्थी का आवासीय मकान व अन्य स्थान निर्मित है जिसे तोडा जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायसंगत नहीं है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उनकी आराजीयात में आने–जाने हेतु नवीन सुगम रास्ता उपलब्ध करवाये।

चूंकि दौराने बहस अभिभाषक पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति जाहिर कर अपीलाधीन आदेश के माध्यम से दिये गये रास्ते पर पुराना निर्माण होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुलभ नवीन रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर कोई परीक्षण न कर, मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. अतः अपील अपीलान्ट पक्षकारान् की सहमति के आधार पर इस हद तक स्वीकार कर,अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, बाद पक्षकारान् सुनवाई, शीघ्रता से पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 17/11/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर